# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

## बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 68 / 2020 / दावा / बउनवान / चतुर्भुज बनाम करतूर
जीसीएमएस संख्या 2020 / 00189

1. चतुर्भुज पुत्र श्री बद्रीलाल जाति धाकड निवारी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

..............वादी

बनाम

1. करतूर पुत्र शंकर जाति धाकड निवारी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. गुलाबचन्द पुत्र शंकरलाल जाति धाकड निवारी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. जोधराज पुत्र अर्जुन जाति धाकड निवारी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
4. दीपा पुत्री प्रमोद कुमार नाबा जरिये सरक्षक दादी हीराबाई पत्नि अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
5. पूजा पत्नि प्रमोद कुमार जाति धाकड निवारी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
6. पप्पूलाल पुत्र अर्जुन जाति धाकड निवारी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
7. महावीर पुत्र अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
8. राधेश्याम पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
9. शम्भूदयाल पुत्र अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
10. सत्यनारायण उर्फ रूपनारायण पुत्र शंकर जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
11. हरिवल्लभ उर्फ राधावल्लब पुत्र शंकर जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
12. हीराबाई पत्नि स्व. अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी.एक्ट**

वकील वादी : श्री अजीत जैन / वादी स्वयं
**दायरा दिनांक : 26.08.2020** निर्णय दिनांक 01.05.2025

**निर्णय**

**कोर्ट कैम्प महलपुर**

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि वादी ग्राम ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां राज० का स्थायी निवासी है जो कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

2. यह कि वादी के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 9 खसरा नं0 47 रकबा 2.32 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.32 हे० वाके ग्राम नन्दगांवडी तहसील मांगरोल जिला बारां राज० में स्थित है जिसमें वादी का नाम जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में बतौर खातेदार दर्ज हो रहा है। उक्त वर्णित आराजी को वाद–पत्र में विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में पारिवारिक मौखिक विभाजन हो चुका है जिसमें वादी को उक्त विवादित आराजी में से दक्षिणी ओर की 4 बीघा आराजी जो खाल नाल के रुप में थी वादी को दी गई जो उवड खावड थी जिसको वादी ने काफी रुपये खर्च कर मिट्टी डालकर लेबल कराकर ऊपजाऊ बनाया था तथा आराजी को कृषि योग्य बनाने के लिए वादी ने 40 वर्ष पूर्व करीबन 10,000/रु० का खर्चा किया तथा आज तक वादी उक्त भूमि पर लाखों का खर्चा कर चुका है। पारिवारिक विभाजन में मिली उक्त भूमि पर वादी को काश्त करते हुये करीबन 40 वर्ष हो गये। गत 40 वर्षों से कोई भी सहखातेदार ने वादी के कब्जे काश्त में आज तक कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया है।

4. यह कि उक्त वर्णित वादी द्वारा उक्त भूमि 4 बीघा पर काफी राशि खर्च करने के बाद ऊपजाऊ बनाने से व उक्त भूमि समतल होने से अब प्रतिवादी क्रम 2 व 10 के मन में बदनीयति आ गयी है जो वादी से उसके कब्जे काश्त की 4 बीघा भूमि को हडपना चाहते है तथा जबरन कब्जा कर वादी से उसके कब्जे काश्त की 4 बीघा भूमि को छीनने पर आमदा है जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है।

5. यह कि उक्त विवादित आराजी वर्तमान में शामलाती खाते में दर्ज है जिसमें से वादी गत 40 वर्षों से 4 बीघा भूमि दक्षिणी दिशा पर काश्त कर रहा है प्रतिवादीगण आये दिन कब्जा काश्त व कर्ता पिलाई को लेकर वादी को धमकाते हैं। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार उक्त विवादित आराजी का विधिवत खाता विभाजन का निवेदन भी किया जा चुका है लेकिन प्रतिवादीगण खाता विभाजन को तैयार नहीं है। इसलिए वादी अब प्रतिवादीगण के साथ शामलाती खाता नहीं रखना चाहता तथा अपने हिस्से की आराजी 4 बीघा दक्षिणी दिशा को अपने पृथक खाते दर्ज करवाना चाहता है जिसका वादी कानूनन अधिकारी व नालिसी है।

6. यह कि प्रतिवादी क्रम 2 व 10 आये दिन वादी को उसके कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने की धमकी देते हैं जिसके लिए प्रतिवादी क्रम 2 व 10 ने दिनांक 10.07.2020 को वादी को धमकी दी है कि हम उक्त दक्षिणी तरफ की भूमि पर फसल करके रहेंगे तथा जमीन नपवायेंगे तथा प्रतिवादी क्रम 2 व 10 उक्त भूमि को लेकर वादी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां देते हैं जबकि वादी ने उक्त भूमि जो उसको मौखिक पारिवारिक विभाजन में प्राप्त हुयी है उस पर काफी पैसा खर्च किया है तथा कृषि करने योग्य बनाया है इसलिए वादी प्रतिवादी क्रम 2 व 10 के विरुद्ध माननीय न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी व नालिसी है।

7. यह कि प्रतिवादी क्रम 13 को भू–धारक होने से वाद में पक्षकार बनाया गया है जिसके विरुद्ध किसी प्रकार की रिलीफ नहीं चाही गई है।

8. यह कि वाद कारण दिनांक 10.07.2020 को प्रतिवादी क्रम 2 व 10 द्वारा वादी को जमीन हांकने व जान से मारने की धमकी देने पर ग्राम ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल में उत्पन्न हुआ है।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

9. यह कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नन्दगावडी तहसील मांगरोल में स्थित होने से वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

10. यह कि वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। ?

अतः वाद–पत्र पेश कर निवेदन है कि बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री जारी की जावे कि :–

(अ) यह कि आराजी खाता संख्या. 9 खसरा नं0. 47 रकबा 2.32 हे0, कुल किता 1 कुल रकबा 2.32 हे०, वाके ग्राम नन्दगांवडी तहसील मांगरोल जिला बारां राज० में स्थित आराजी 0.64 हे0 (4 बीघा) दक्षिणी दिशा को वादी के पृथक खाते दर्ज किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी क्रम 13 को आदेश दिया जावे।

(ब) यह कि प्रतिवादी क्रम 2 व 10 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, वादी को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय उचित समझे वादी को दिलवायी जावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली कोर्ट कैम्प महलपुर में दिनांक 25.04.2025 को पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2, 3, 6, 9, 11 कोर्ट कैम्प में उपस्थित आए। पक्षकारान द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 की मृत्यु हो जाने के कारण कायमुकामान बनाये जाने हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार मांगरोल को मौका रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 01.05.2025 को पेश करने हेतु आदेशित किया गया।

कोर्ट कैम्प महलपुर में तहसीलदार मांगरोल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

ग्राम नन्दगावडी की आराजी ख नं. 47 रकबा 2.32 है0 1 अन्तिमा बाई पत्नि लेखराज हि0 1/12 जाति माली सा. मांगरोल 2. कस्तूरचन्द पुत्र शंकर हि. 1/6 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 3. गुलाबचन्द पुत्र शंकर हि0 1/6 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 4. चतुर्भुज हि. 1/36 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 5. जोधराज पुत्र अर्जुन हि. 1/36 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 6. नाबालिग दीपा पुत्री प्रमोद कुमार संरक्षक सरपरस्त दादी हीराबाई हि. 1/72 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 7. पुजाबाई पत्नी स्व. प्रमोद कुमार हि. 1/72 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 8. पप्पूलाल पुत्र अर्जुन हि. 1/36 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 9. महावीर पुत्र अर्जुन हि. 1/36 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 10. शम्भूदयाल पुत्र अर्जुन हि. 1/36 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 11. सत्यनारायण उर्फ रूपनारायण पुत्र शंकर हि. 1/6 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 12. हरिवल्लभ पुत्र शंकर हि. 1/6 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा 13. हीराबाई पत्नी स्व. अर्जुन हि. 1/36 जाति धाकड सा. ईश्वरपुरा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। आराजी ख.सं. 47 रकबा 2.32 हे0 का आराजी मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि मुताबिक मौका स्थिति उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगणों में से किसी का भी कब्जा काश्त नहीं है। उक्त स्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाना सम्भव नहीं है। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर पेश है।

सम्पूर्ण पत्रावली मय राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया कि वादी एवं प्रतिवादीगणों में से किसी का भी कब्जा आराजी ख. नं. 47 रकबा 2.32 हे0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

पर नहीं है। मौके पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में पक्षकारान में बंटवारा किया जाना संभव नहीं है। अतः वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**:: क्रियात्मक आदेश ::**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं होने से वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को कोर्ट कैम्प महलपुर में मजमेंआम सुनाया गया।

**अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई**

( ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी )

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

**न्यायालय ब इजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)**

**प्रकरण संख्या :– 68/2020 /दावा/बउनवान/चतुर्भुज बनाम करतूर**

**जीसीएमएस संख्या 2020/00189**

निर्णय दिनांकः– 01.05.2025

बउनवानः–

1. चतुर्भुज पुत्र श्री बद्रीलाल जाति धाकड निवारी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

..............वादी

**बनाम**

1. करतूर पुत्र शंकर जाति धाकड निवारी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. गुलाबचन्द पुत्र शंकरलाल जाति धाकड निवारी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. जोधराज पुत्र अर्जुन जाति धाकड निवारी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
4. दीपा पुत्री प्रमोद कुमार नावा जरिये सरक्षक दादी हीराबाई पत्नि अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
5. पूजा पत्नि प्रमोद कुमार जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
6. पप्पूलाल पुत्र अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
7. महावीर पुत्र अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
8. राधेश्याम पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
9. शम्भूदयाल पुत्र अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
10. सत्यनारायण उर्फ रूपनारायण पुत्र शंकर जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
11. हरिवल्लभ उर्फ राधावल्लब पुत्र शंकर जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
12. हीराबाई पत्नि स्व. अर्जुन जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
13. राजरथान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी.एक्ट**

वकील वादी : श्री अजीत जैन/वादी स्वयं

कोर्ट कैम्प महलपुर में वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.05.2025 को अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते बंटवारा पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं होने से वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

| मुदई | | रूपया | पै. | मुदायलाह | | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | ......... | | | स्टाम्पअर्जीदावा | ......... | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | ......... | | | स्टाम्प वकालतनामा | ......... | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | ......... | | | स्टाम्प वजह सबूत | ......... | | |
| महनताना वकील | ......... | | | महनताना वकील | ......... | | |
| खर्चा गवाहान | ......... | | | खर्चा गवाहान | ......... | | |
| फीस कमिश्नर | ......... | | | फीस कमिश्नर | ......... | | |
| बबत इजराय हुकमनामा | ......... | | | बबत इजराय हुकमनामा | ......... | | |
| मुतफर्रिक | ......... | | | मुतफर्रिक | ......... | | |
| मीजान | ......... | | | मीजान | ......... | | |

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।